न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, अलवर (राज0)

पीठासीन अधिकारी :— कमल राम मीना, आर.ए.एस.

अपील सं0:—11/2015 (223 आर.टी.एक्ट)

उनवान

1. रामचरण पुत्र श्री कन्हैयालाल जाति गुर्जर निवासी ग्राम बाई, तहसील लक्ष्मणगढ़ जिला अलवर राज0 ।

..... अपीलांट

बनाम

1. रोशनलाल पुत्र स्व0 श्री मंगल गुर्जर,
2. बलबीर पुत्र स्व0 श्री मंगल गुर्जर,
3. संतराम पुत्र स्व0 श्री मंगल गुर्जर निवासीयान ग्राम बखापुर तहसील व जिला रेवाड़ी (हरियाणा)

.....असल प्रतिवादी/रेस्पोडेन्टान

4. तहसीलदार लक्ष्मणगढ़ (लैण्ड होल्डर) तहसील लक्ष्मणगढ़ जिला अलवर राज0 ।

..... तरतीबी रेस्पो0

उपस्थित :—
1. श्री श्योरामसिंह नरूका, अभिभाषक अपीलांट ।
2. श्री उमाशंकर खण्डेलवाल अभिभाषक असल रेस्पो0 ।

::: निर्णय :::

दिनांक :—31.08.2018

यह अपील विद्वान उपखण्ड अधिकारी लक्ष्मणगढ़ के निर्णय दिनांक 12.11.2014 के विरूद्ध इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है ।

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11 प्रतिवादी सं0 1 ल0 3 ने प्रस्तुत कर कथन किया कि वादी ने खुद की व प्रतिवादीगण की आराजी वाके ग्राम बाई तहसील लक्ष्मणगढ़ के तकासमा व हुक्म ईम्तनाई दवामी बाबत एक दावा पेश किया है जिसमें ख0 नं0 1084/1 वादी की खातेदारी में है शेष प्रतिवादी नं0 1 ल0 3 की कब्जे काश्त खातेदारी में थी जिसे जरिये रजिस्टर्ड बयनामा दि0 19.06.2013 को गिर्राज पुत्र किशनलाल जाति गुर्जर निवासी कमालपुर तहसील रामगढ के हक में पंजीकृत करवा दिया और कब्जा केता को सम्भलवा दिया जिस पर रोज खरीद से केता गिर्राज का कब्जा चला आ रहा है । वादी ने गलत एवं बेबुनियाद तथ्यों के आधार पर दावा पेश किया है । प्रतिवादी 1 ल0 3 ने विवादित आराजी को कभी भी वादी को ठेके पर नहीं दी दूसरे ऐसे ठेके की कोई लिखा पढ़ी भी प्रतिवादीगण द्वारा नहीं की गई और न ही ठेके के आधार पर

14/3/18

वादी कानूनन कोई दावा पेश करने का अधिकारी है । प्रतिवादी की आराजी के वादी ना ही टिनेन्ट और न ही को–टिनेन्ट है तथा आराजी को जरिये रजिस्टर्ड बयनामा दि0 19.06.2013 को गिर्राज को सम्भलवा दिया जिसकी जानकारी होते हुए भी वादी ने गिर्राज को पक्षकार नहीं बनाया । वादपत्र के साथ डुप्लीकेट कॉपी पेश नहीं की । इस आधार पर दावा वादी खारिज योग्य है । विद्धान अधीनस्थ न्यायालय ने प्रार्थना पत्र पेश होने पर तथा वादी/अप्रार्थी का जवाब प्राप्त करके विद्धान तहत न्यायालय ने प्रार्थना पत्र पर उभयपक्ष को सुनकर दि0 12.11.2014 को प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11 को स्वीकार कर वादीगण का दावा खारिज कर दिया जिस निर्णय दि0 12.11.2014 से व्यथित होकर अपीलांट ने अपील इस न्यायालय में प्रस्तुत की है ।

अपील प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर की गई । रेस्पो0 को जर्ये सम्मन तलब किया गया । तहत अदालत की पत्रावली तलब करते हुए विद्धान अभिभाषकगण की बहस सुनी गयी ।

अभिभाषक अपीलांट ने बहस में दावें के तथ्यों को दोहराया और तहत न्यायालय द्धारा पारित आदेश का हवाला दिया । अपीलांट अभिभाषक का बहस में कथन है कि वादी/अपीलांट ने तहत न्यायालय में वाद अन्तर्गत धारा 53, 188 आर.टी. एक्ट का विवादित आराजी के बाबत इस आशय का पेश किया कि प्रतिवादी रिश्तेदार है तथा बंटाई पर खेती/काश्त कर रहे हैं । बेचान का अधिकार प्रतिवादी को नहीं है । वादी ने तकासमा चाहा और अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द कराना चाहा है । दावे का जवाब दावा नहीं है और लगभग डेढ़ वर्ष बाद प्रतिवादी ने आदेश 7 नियम 11 का प्रार्थना पत्र पेश किया । वादी ने प्रार्थना पत्र का विस्तृत जवाब दिया । तहत न्यायालय ने जो आदेश किया वह वादी द्धारा द्वितीय प्रति पेश नहीं किये जाने से वादी का वाद इस बिनाय पर खारिज कर दियां । तहत न्यायालय के निर्णय में कहीं भी नहीं है कि वादी ने वाद की दूसरी प्रति पेश नहीं की । यदि ऐसा होता तो ऑब्जेक्शन कार्यालय का होता । वाद वार्ड बाई लॉ नहीं है । तहत न्यायालय को कानूनी नजीरें पेश की है उनको नहीं लिखा है औरे तहत न्यायालय की पत्रावली में कानूनी नजीरें संलग्न है । तहत न्यायालय ने हमें अस्थाई निषेधाज्ञा जारी की तब न्यायालय ने क्यों नहीं कहा कि द्धितीय प्रति नहीं है । अपीलांट को फोटो प्रति पेश करने बाबत सहानुभूतिपूर्वक विचार रखना चाहिए । अपीलांट के पक्ष में जारी स्थगन की अपील प्रतिवादी ने पेश की है तथा रोशन और बलबीर दो अपील और गिर्राज ने भी दो अपले पेश की हैं । दि0 11.7.2003 को गिर्राज की अपील खारिज कर दी । गिर्राज तहत न्यायालय में आज तक पक्षकार नहीं बना । अपीलांट के मुख्य बिन्दू ये हैं कि एक साल तक जवाब पेश नहीं किया, प्रतिवादी जवाब पेश करते, जवाब के आधार पर तनकीयात कायम होती तथा तनकीयात के आधार पर सांक्ष्य ली जाती । अपीलांट का बंटवारे का मुकदमा था जिसमें मैरिट पर तहत न्यायालय को निर्णय करना चाहिए । इसके साथ ही आपत्तिया जवाब दावे में आती । विवादित आराजी पर कब्जा काश्त अपीलांट का ही है । ऑफिस रिपोर्ट में दूसरी प्रति का ऑब्जेक्शन क्यों नहीं लगाया । इसके साथ ही मिली भगत का निर्णय होना जाहिर किया है । इसलिए तहत न्यायालय का निर्णय निरस्तनीय है और प्रकरण तहत न्यायालय को प्रतिप्रेषित करने का अनुरोध किया । उन्होंने अपने समर्थन में डी.एन.जे. 2011 पेज 1066, आर.आर.टी. 2011–12 पेज 74 पेश की ।

बहंस में पुनः मुख्य बिन्दू दोहराते हुए कहा कि तहत न्यायालय की पत्रावली में उनके द्धारा कानूनी नजीरें आदेश 7 नियम 11 पर पेश की गयी थी, परन्तु उनका हवाला नहीं दिया गया । साथ ही कहा कि वादीगण द्धारा आदेश 7 नियम 11 का विस्तृत जवाब भी दिया गया परन्तु उसका भी विवेचन नहीं किया गया है । आदेश 7 नियम 11 का प्रार्थना पत्र का हवाला देते हुए कहा कि प्रतिवादी को आदेश 7 नियम 11 का प्रार्थना पत्र पेश करने का अधिकार नहीं होता है, अपितु न्यायालय द्धारा ही स्वयं तय किया जाता है कि वाद वादी क्या आदेश 7 नियम 11 की श्रेणी में आता है ? यदि प्रतिवादी ने जमीन का बेचान कर दिया है तो उनको आदेश 7 नियम 11 पेश करने का अधिकार ही नहीं है ।

कानूनी आपत्तियों पर कहा कि एक वर्ष तक जवाब पेश नहीं किया उसमें आपत्तियां पेश करनी चाहिए, तनकीयात और साक्ष्य के बाद मैरिट पर प्रकरण का निस्तारण किया जाना चाहिए । कब्जा काश्त वादी / अपीलांट का है । विवादित आराजी के खसरा नम्बरान की सीमा की डोल–मेढ़ समाप्त है । अतः तकासमा का प्रकरण पाये जाने से प्रकरण प्रतिप्रेषित किये जाने योग्य है ।

जवाब बहस में अभिभाषक असल रेस्पो0 का कथन है कि वादी/अपीलांट के दावे के आधार ये है कि वादी ने दावे को तकसीम का बताया जिसे आदेश 7 नियम 11 में खारिज नहीं कर सकते हैं । विवादित आराजी ख0 नं0 1088, 1090 व 1107 है । ख0 नं0 1084/1 को स्वयं की खातेदारी का बताया तथा उक्त खसरा नम्बर प्रतिवादी/रेस्पो0 के रेकार्ड अनुसार बताये हैं । अपीलांट ने तकासमा चाहा परन्तु प्रश्न है कि जब अलग–अलग ही खातेदार है तो तकासमा कहां से होगा । को–टिनेन्ट की आराजी ही नहीं है । ठेके पर लेने के लिए कोई वाद नहीं ला सकते हैं और न ही इस बाबत कोई लिखा–पढ़ी हुई है । तहत न्यायालय ने प्रतिवादी/रेस्पो0 के प्रार्थना पत्र के आधार पर दावा सही खारिज किया है । दि0 12.11.2014 की अपील दि0 16.2.2015 को पेश की है जो मियाद बाहर पेश की है । डिले कन्डोन के प्रार्थना पत्र का अवलोकन कराया जिसमें बहस के बाद पत्रावली रिजर्व कहीं नहीं थी बल्कि आदेशिका में तारीख दी है । खुले न्यायालय में निर्णय सुनाया गया, डिले कन्डोन के गलत तथ्य है । अपीलांट ने कोई आदेशिका पेश नहीं कि जिससे आरोप साबित होते हो । इन्हें नकल कब मिली का अवलोकन कराया । । महत्वपूर्ण तथ्य ये है कि प्रतिवादी/रेस्पो0 ने कैवियट लगायी थी तथा उसके नोटिस रजिस्टर्ड गये इससे इन्हें निर्णय की जानकारी हुई थी फिर भी समय पर अपील पेश नहीं की । इसलिए सबसे पहले मियाद के बिन्दू को तय किया जाना आवश्यक है ।

आदेश 7 नियम 11 की बहस पर अभिभाषक रेस्पो0 का कहना है कि प्रतिवादी के लिए निर्णय प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11 में लिखा था कि द्धितीय प्रति दावे में पेश नहीं की । इसका जवाब था कि पैरा सं0 7 गलत है । ये नहीं कहा कि उन्होंने प्रति पेश की । वादी को द्धितीय प्रति पेश करने का जवाब लिखना चाहिए । अपीलांट ने द्धितीय प्रति पेश करने का अवसर चाहा और उदाहरण दिया कि कोर्ट फीस का । रेस्पो0 का यह कहना है कि आदेश 7 नियम 11 में न्यायालय कहेगी कोर्ट फीस की परन्तु द्धितीय प्रति के लिए न्यायालय नहीं कहेगी । इसलिए तहत न्यायालय में इनका दावा आदेश 7 नियम 11 में सही खारिज किया है ।

 3/11/18

बहस जारी रखते हुए आगे कहा कि अपीलांट का यह कहना कि द्वितीय प्रति आदेश 7 नियम 11 पेश नहीं कर सकते है । इसमें माननीय उच्च न्यायालय ने निर्देश दिये है कि पहले आदेश 7 नियम 11 पर सुना जाना चाहिए । इसमें तथ्य ये है कि यह जरूरी नहीं है कि पहले जवाब पेश हो । पहले आदेश 7 नियम 11 में आ सकते हैं । इसलिए तहत न्यायालय का निर्णय सही है और अपीलांट की अपील खारिज योग्य है । उन्होंने अपने कथन की ताईद में डी.एन.जे. 2010 पेज 400, डी.एन.जे. 2014 पेज 699, डी.एन.जे. 2017 पेज 1054, आर.आर.टी. 2018 पेज 188, डी.एन.जे. 2012 पेज 283, आर.एल.डब्ल्यू. 2008 पेज 3599, आर,एल.डब्ल्यू. 2006 पेज 919, आर.आर.टी. 2011 पेज 851, आर.आर.डी. 2007 पेज 311, आर.आर.डी. 2002 पेज 582, आर.आर.टी. 2014 पेज 279 पेश की ।

हमने अभिभाषकगण की बहस सुनी । पत्रावली का अवलोकन किया । तहत न्यायालय की पत्रावली में पेश रेकार्ड, अपील के तथ्यों, दावे के तथ्यों का अवलोकन करते हुए तहत न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 12.11.2014 का अवलोकन किया तथा पेश कानूनी नजीरों का ससम्मान अवलोकन किया ।

अवलोकन अनुसार वादी द्वारा तहत न्यायालय में विवादित आराजी ख0 नं0 1088, 1090, 1107 एवं 1084/1 के बाबत तकासमा का दावा पेश किया गया था । वादी के वाद के अनुसार विवादित आराजी को प्रतिवादीगण ने वादी को ठेके पर काश्त के लिए दे दी और तभी से विवादित आराजी पर वादी का कब्जा काश्त चला आ रहा है । प्रतिवादीगण वादीगण के रिश्तेदार हैं और वादी ने ही प्रतिवादीगण को उक्त आराजी खरीद करवायी थी परन्तु प्रतिवादी ने एक नुमायशी विक्रयपत्र दि0 19.06.2013 के द्वारा जमीन कां जो बेचान किया है उसकी वादी को कोई जानकारी नहीं है । विवादित आराजी पर उक्त खसरा नम्बरान के मद्ये डोल–मेढ नहीं होने से आपस में मिले हुए हैं जिसके कारणं यह स्पष्ट नहीं हो पा रहा है कि वादी की आराजी कहा होकर है और प्रतिवादी की आराजी कहा है । मौके पर वादी की ही कब्जा काश्त लम्बे समय से चली आ रही है । प्रतिवादीगण विवादित आराजी में अब व्यवधान पैदा कर रहे हैं । इसलिए यह तकासमा का दावा पेश किया जाना बताया और कहा कि अलग–अलग पैमाईश, तारबंदी और पत्थरगढ़ी करवायी जावें और प्रतिवादीगण को पाबन्द करवाना चाहा कि पैमाईश और तकामसा होने तक वादी को विवादित आराजी से बेदखल नहीं करें और न ही विवादित आराजी का कहीं हस्तारण करें तथा रेकार्ड व मौके की यथास्थिति बनाये रखें ।

प्रतिवादी रेसपो0 सं0 1 ल0 3 ने तहत न्यायालय में प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11 पेश कर निवेदन किया कि विवादित आराजी का वादी ख0 नं0 1084/1 का सैपरेट खातेदार है तथा शेष नम्बरान का प्रतिवादी 1 ल0 3 रेकार्डेड खातेदार था जिन्होंने विवादित आराजी रजिस्टर्ड विक्रयपत्र दि0 19.06.2013 से गिर्राज को बेचान कर दी और तभी से कब्जा सम्भलवा दिया । विवादित आराजी में वादी और प्रतिवादी कहीं पर भी सह खातेदार नहीं है । इसलिए विवादित आराजी का न तो विभाजन करवाया जा सकता है और न ही विवादित आराजी के किसी प्रकार के ठेके पर कब्जा काश्त का कोई एग्रीमेन्ट है । इसलिए गलत तथ्यों पर वाद पेश किया गया है जो आदेश 7 नियम 11 के तहत वार्ड बाई लॉ है । साथ ही यह भी कहां कि आदेश 7 नियम 11 के प्रावधान के अनुसार वाद की द्वितीय प्रति पेश नहीं करने पर भी वाद वादी काबिल खारिजी के है ।

वादी ने आदेश 7 नियम 11 का तहत न्यायालय में विस्तृत जवाब पेश किया और अपने वाद के तथ्यों को प्रार्थना पत्र के जवाब में दोहराया और कहा कि विवादित आराजी पर वादी का ही कब्जा काश्त है । कथित बयनामा 19.06.2013 फर्जी व नुमायशी है । मौके पर वादी की फसल खड़ी हुई है । प्रतिवादीगण राजस्थान के बाहर हरियाणा के रहने वाले हैं । इसलिए वादी ने प्रतिवादी से विवादित आराजी को ठेके पर काश्त करने के लिए ली थी तथा ठेके राशि भी वादी ने समय–समय पर अदा की है । विवादित आराजी आपस में मिली हुई होना तकासमा की प्रार्थना को अपने जवाब दावा अनुसार सही होना बताया । कथित बयनामा के आधार पर विवादित आराजी का खरीदकर्ता गिर्राज के द्वारा स्थगन आदेश के विरूद्ध अपील पेश की गयी थी जो खारिज हो गयी । मौके पर उनका कोई कब्जा काश्त नहीं है । साथ ही यह कहा कि कानूनी नजीरों आर.आर.टी. 2017 पेज 1100 पेश करते हुए कहा है कि आर.आर.टी. 2009 पेज 638, आर.आर.टी. 2012 पेज 332, आर.एल.डब्ल्यू. 2008 पेज 1390, आर.आर.डी. 2011 पेज 508, आंर.बी.जे. 2014 पेज 1 में प्रतिवादी को आदेश 7 नियम 11 के आधार पर दावा खारिज करने का अधिकारी नहीं है । तहत न्यायालय के निर्णय का हवाला देते हुए कहा कि तहत न्यायालय ने वादी द्वारा द्वितीय प्रति पेश नहीं की । इसके आधार पर दावा अस्वीकार किया है जो कानून के विपरीत है । यह भी कहा कि तहत न्यायालय नें धारा 53 व 188 आर.टी.एक्ट की आपत्तियों का जवाब पेश कर साक्ष्य के आधार पर निर्णय के लिए अवसर दिया है । इसलिए तहत न्यायालय का निर्णय़ काबिल खारिजी के है और अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर प्रकरण तहत न्यायालय को प्रतिप्रेषित करने का अनुरोध किया ।

प्रतिवादी/प्रार्थी के प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11 के आधार पर बहस में विवेचन में पाया कि प्रतिवादी/प्रार्थी का कथन है कि विवादित आराजी ख0 नं0 1084/1 यह वादी की तन्हा खातेदारी में है तथा शेष ख0 नं0 1088, 1090 व 1107 प्रतिवादीगण 1 ल0 3 की तन्हा खातेदारी में थी जिसे रेकार्डेड खातेदार की हैसियत से रजिस्टर्ड बयनामा दि0 19.06.2013 के द्वारा श्री गिर्राज को बय कर दी तथा उसका प्रतिफल प्राप्त किया तथा कब्जा भी खरीददार गिर्राज को सम्भलवा दिया । इसलिए कोटिनेन्सी की आराजी नहीं होने के कारण दावा वादी विभाजन योग्य नहीं होने के कारण वार्ड बाई लॉ है और विभाजन योग्य नहीं है और वार्ड बाई लॉ है । इसलिए वार्ड बाई लॉ के द्वारा आदेश 7 नियम 11 में वाद वादी सही खारिज किया है ।

द्वितीय बिन्दू प्रतिवादी के द्वारा यह भी उठाया कि विवादित आराजी को प्रतिवादी ने कभी भी वादी को ठेके पर काश्त के लिए नहीं दी । ऐसा कोई भी रेकार्ड, एग्रीमेन्ट वादी के द्वारा पेश नहीं किया है जिसके आधार पर अपना कब्जा काश्त बता कर इनके द्वारा खातेदारी चाही गयी है । यह बिन्दू भी उनके द्वारा बताया गया कि किसी एग्रीमेन्ट के द्वारा प्रकरण सिविल न्यायालय के क्षेत्राधिकार में है । इसलिए यह वाद वार्ड बाई लॉ है । प्रतिवादी ने कानूनी नजीर आर.आर.टी. 2017 पेज 1100 का हवाला देते हुए कहा कि इस निर्णय में अन्य कानूनी नजीरें आर.आर.टी. 2009 पेज 638, आर.आर.टी. 2012 पेज 332, आर. एल.डब्ल्यू. 2008 पेज 1390, आर.आर.डी. 2011 पेज 508, आर.बी.जे. 2014 पेज 1 का भी हवाला दिया गया है जिसके अनुसार Rejection of plaint-suit filed on the basis of unregistered sale deed & also on the ground of adverse possession-suit is barred by law & not maintainable-Held, Suit dismissed.

5/3/18

बहस में उन्होंने यह भी बताया कि धारा 53 आर.टी.एक्ट के अनुसार कोटिनेन्ट नहीं होने पर वाद चलने योग्य नहीं है और वार्ड बाई लॉ है ।

द्वितीय बिन्दू में यह भी कहा कि तहत न्यायालय के आदेश की जानकारी वादीगण को पहले से ही थी । उक्त निर्णय के विरूद्ध प्रतिवादीगण द्वारा अपीलीय न्यायालय में पेश की गई थी जिसके निर्णय की जानकारी होने से सैक्शन 5 मियाद अधिनियम डिले कन्डोन किये जाने योग्य नहीं पाया जाता है । इसलिए प्रथम दृष्ट्या मियाद अधिनियम की धारा 5 के आधार पर अपील काबिल खारिजी के है ।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर एवं कानूनी नजीर आर.आर.टी. 2011 पेज 1100 का अवलोकन अनुसार यदि अन्य रजिस्टर्ड सैलडीड के आधार पर एडवर्श पजेशन के आधार पर खतोदारी बाबत दावा पेश किया जाता है तो वह आदेश 7 नियम 11 में खारिज किया जा सकता है । साथ ही आर.टी.एक्ट की धारा 53 के प्रावधान 1 ल0 5 के अनुसार विभाजन के लिए विवादित आराजी में सह खातेदार होना आवश्यक है । विवादित आराजी में वादी और प्रतिवादीगण सह खातेदार नहीं है अपितु ख0 नं0 1084/1 का वादी सैपरेट खातेदार है और शेष खसरा नम्बरान के रेकार्ड के अनुसार प्रतिवादीगण खातेदार काश्तकार थे । अतः बिना सह खातेदारी का विभाजन का वाद यदि वार्ड बाई लॉ की रेणी में आता है । चूंकि तहत न्यायालय के द्वारा वाद आदेश 7 नियम 11 के प्रावधान वादपत्र की द्वितीय प्रति पेश नहीं की, इसके आधार पर खारिज किया गया था । यद्यपि इसके लिए भी आदेश 7 नियम 11 भी लागू होता है परन्तु कार्यालय रिपोर्ट में वाद प्रति द्वितीय प्रतिलिपि के संबंध में कोई रिपोर्ट नहीं करने से प्रार्थी/रेस्पो0 कोई भी रीलीफ इस बिन्दु पर प्राप्त करने के अधिकारी नहीं हैं, अपितु अन्य बिन्दुओं के आधार पर अपील अंपीलांट वार्ड बाई लॉ होने से काबिल खारिजी के है ।

जहां तक डिले कन्डोन किये जाने का संबंध है, माननीय उच्चतम न्यायालय, माननीय उच्च न्यायालय एवं माननीय राजस्व मण्डल का इस संबंध में नरम रूख अपनाते हुए डिले को कन्डोन किये जाने का आदेश पारित किये हैं और डिले का जो प्रार्थना पत्र पेश किया गया है उस पर देरीना माफी स्वीकार योग्य है परन्तु मैरिट के आधार पर अपील अपीलांट काबिल खारिजी के है ।

अतः अपील अपीलांट खारिज की जाती है । विद्वान अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी लक्ष्मणगढ़ के निर्णय दि0 12.11.2014 यथावत रखा जाता है । खर्चा पक्षकारान अपना–अपना वहन करें । पर्चा डिक्री जारी हो ।

पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो तथा बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो ।

निर्णय आज दिनांक 31.08.2018 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

31.8.18

(कमल राम मीना)
राजस्व अपील प्राधिकारी,
अलवर